

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़(अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार (R.A.S)  
कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत गोलाकाबास

वाद संख्या-2/171/2014

अनुवान

1. धनवंती बेवा गोविन्द
2. अशोक कुमार पुत्र गोविन्द
3. रवि कुमार पुत्र गोविन्द समस्त जाति खत्री नि० भानगढ़ हाल नि० फरिदाबाद एनआईटी 702 हरियाण  
मकान न० 2सी 5के 124। —प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जयें जिला कलक्टर महोदय अलवर
2. तहसीलदार साहब राजगढ़
3. अधीशाषी अभियंता सा०नि०वि० राजगढ़ —अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट



24.05.2018 आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय कैम्प कोर्ट गोला का बास पर स्वप्रेरणणा से वास्ते निर्णय पेश की प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट का अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश कर अंतरिम अस्थाई निषेद्याज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया की हाल खसरा न० 1755/5.00, मे से 0.53 भूमि गत खसरा न० 885 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम भानगढ़ तह० राजगढ़ में स्थित है से प्रार्थीगण को बेदखल न करे निर्माण न करे कार्यकास्त प्रार्थीगण में किसी प्रकार की रूकावट मजाहमत न करे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी पर बहस एक पक्षिय सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी नहीं कर अप्रार्थीगण को जयें नोटिस तलब किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा जवाब पेश किया हुआ है। पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थी तथ्यों को अस्वीकार करते हुए उल्लेख किया गया है कि आराजी विवादित रिकार्ड में सा०नि०वि० के नाम खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण का उक्त आराजी से कोई हक व संबंध नहीं है इसलिए प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को अंतरिम अस्थाई निषेद्याज्ञा से पाबंद कराने का कोई अधिकार नहीं है। चूकि प्रार्थना पत्र वर्ष 2014 से विचाराधीन है तथा प्रार्थना पत्र पर आज दिनांक तक पूर्व से अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेद्याज्ञा भी जारी नहीं है। जवाब पैरोकार के अनुसार आराजी विवादित सा०नि०वि० के नाम खातेदारी में दर्ज है। जिसकी पुष्टि जमाबंदी सम्वंत 2070-73 खाता संख्या 538 वाके भानगढ़ के अंकित इन्द्राज से होती है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र की पुष्टि में ऐसा कोई



दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे कि प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण की खातेदारी वर्तमान में साबित हो। इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं पाई जाती है प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण काबिल अस्वीकार योग्या पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रार्थना अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट हाल खसरा न0 1755/5.00, मे से 0.53 वाके ग्राम भानगढ तह0 राजगढ अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2018 को लिखाया जाकर कैम्प कोर्ट गोलाकाबास पर सुनाया।

(पवन कुमार आर.ए.एस)  
उपखण्ड अधिकारी राजगढ  
कैम्प कोर्ट गोलाकाबास